| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09-02-26 | पत्रावली पेश हुई। | |

वादीगण व प्रतिवादी संख्या6 व 7 के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी पार्टी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी रघुराजसिंह से जरिये पंजीबद्व विक्रेय विलेख दिनांक 26.04.1995 को राशि 71,500/—में खरीद की गई थी, तब से वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का कब्जा काश्त है। वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता आन्नदसिंह जीवित है जो उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के तौर पर संयोजित है,साथ ही वादी संख्या 4 स्वर्गीय हेमलता के विधिक वारिश प्रियवर्तनसिंह के पिता जितेद्रसिंह जीवित है जिसे वादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है, प्रतिवादी अधिवक्ता ने आगे बहस में कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित एस.बी.सिविल मिस्लेनियमस अपील संख्या 2315/2022 राजेन्द्र कुमार बनाम जवानाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 के पद संख्या7 में यह सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत भंवरसिंह बनाम पूरन अटेच ए.आई आर. 2008 एस.सी. पेज संख्या 1490 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के न्यायिक दृष्टांत कमीशनर ऑफ वेल्थटेक्स कानपुर बनाम चन्द्रसेन ए.आई. आर. 1986 एस.सी. पेज 1753 व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत युधिष्टर बनाम अशोक कुमार ए.आई.आर .1987 एस. सी.पेज संख्या 558 में प्रतिपादित सिद्वांतों की पुष्टि की है, चन्द्रसेन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात यदि सम्पत्ति मालिक की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र व मृतक पुत्र का पुत्र प्रथम श्रेणी के मुताबिक उत्तराधिकारी होते हैं और जीवित पुत्र का पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होता है और मृतक के पुत्र एवं पुत्री पर केप्टा अधिकार में उत्तराधिकार प्राप्त [illegible] टिनेन्ट इन कॉमन की तारीफ [illegible] कहलाते है।" उक्त निर्णय से स्पष्ट है उक्त [illegible] विधि द्वारा [illegible] होने से काबिल खारिज के है। वाद हेतु[illegible] वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:19:01 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अधिवक्ता की बहस है कि वादी संख्या 4 प्रियवृतसिंह स्व. हेमलता कंवर पुत्री रघुराजसिंह के विधिक वारिस है जो कि

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) सिवाना

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | रघुराजसिंह की मृतक पुत्री का पुत्र है जो हेमलता कंवर के बतौर विरासत में मिली पैतृक सम्पत्ति का एक मात्र वारिस है प्रतिवादी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात यदि सम्पत्ति के मालिक की मृत्यु होने के पश्चात उसका पुत्र व मृत पुत्र–पुत्री होते है का कथन किया गया लेकिन विशिष्ट धारा का उल्लेख नहीं किया है,प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के संदर्भ में निर्णय पारित किया गया है न की मूल वाद के सम्बन्ध में। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दृष्टान्त न्यायालय को गुमराह कर मूल वाद में प्रार्थना पत्र में पेश किया गया है जो काबिल अपास्त के है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत केप्टा अधिकार व स्ट्रीप यानि टिनेन्ट एन कॉमन को बिना साक्ष्य से तय नहीं किया जा सकता है यह तथ्य मूल वाद के निस्तारण के समय ही तय की जा सकता है। लिहाजा प्रतिवादीगण का प्राथना पत्र से पूर्णतया विपरित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। |
| | हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व विधि के परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया । हस्तगत प्रकरण में वादी संख्या 1 से 3 के पिता प्रतिवादी पार्टी संख्या (1) प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है, जो जीवित है तथा वाद पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित है प्रतिवादीगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत भंवरसिंह बनाम पूरन अटेच ए.आई आर. 2008 एस.सी. पेज संख्या 1490 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के न्यायिक दृष्टांत कमीशनर ऑफ वेल्थटेक्स कानपुर बनाम चन्द्रसेन ए.आई. आर. 1986 एस.सी. पेज 1753 व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत युधिष्टर बनाम अशोक कुमार ए.आई.आर .1987 एस. सी.पेज संख्या 558 में प्रतिपादित सिद्वांतों की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर एस.बी.मिस. अपील संख्या 2315/2021 राजेन्द्र कुमार बनाम जवानाराम में की गई है जिसके पद संख्या 7 में स्पष्ट किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात यदि सम्पत्ति मा[illegible]त्यु होती है तो उसका पुत्र व मृतक पुत्र का [illegible] उत्तराधिकारी होते है हैं और जीवित पुत्र का पुत्र उत्तराधिकार[illegible] होता है और मृतक के पुत्र एवं पुत्री पर [illegible] प्राप्त करते है न कि पर स्ट्रीप्स यानि टिनेन्ट इन कोमन की तारीफ में आते है जोईन्ट टिनेंन्ट नहीं कहलाते है।'' हस्तगत प्रकरण में स्व. रघुराजसिंह के पुत्र पार्टी संख्या 1 व 2 व जीवित है, प्रतिवादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:19:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

| ख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

उक्त प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होती है। लिहाजा वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:19:01 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

**राजस्व प्रकरण संख्या 131/2025**

वादीगणः–

1. प्रद्युम्नसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह पौत्र स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवसी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नरेन्द्र कंवर
2. जयन्द्रनी कंवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह पौत्र स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवसी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नरेन्द्र कंवर
3. कैरवसिंह पुत्र श्री आन्नदसिंह पौत्र स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवसी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरोज कंवर
4. स्व. हेमलता कंवर पुत्री स्व. रघुराजसिंह के वारिसानः–
   प्रियवर्तसिंह पुत्र श्री जितेन्द्रसिंह दोहिता स्व. रघुराजसिंह उम्र 28 साल निवासी खीमडा तहसील व जिला पाली

**बनाम**

प्रतिवादीगण :–

(प्रार्टी संख्या1)

1. आनन्दसिंह पुत्र स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. योगेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. मिठूकंवर पत्नी स्व. रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. सुनीता कंवर पुत्री स्व. रघुराजसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा हाल निवासी खीमाडा तहसील व जिला पाली

(पार्टी संख्या 2)

6. डूंगरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. श्यामसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

(पार्टी संख्या 3)

8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा राज.

## वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः – 09.02.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री गणपतसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई श्री नरपतसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:19:01 IST
Reason: SelfAttested

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2026 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

( सुरेन्द्र सिंह खंगारोत )
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना